



राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक: प.18(6)एमई/ग्रुप-1/2018

जयपुर, दिनांक: 23/9/2021

प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक,
चिकित्सा महाविद्यालय,
अजमेर/बीकानेर/जयपुर/
जोधपुर/कोटा/उदयपुर।

विषय:- आवश्यक अस्थाई आधार पर नियुक्त सहायक आचार्य के नियत पारिश्रमिक में संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि चिकित्सा महाविद्यालयों में आवश्यक अस्थाई आधार पर नियुक्त सहायक आचार्य (क्लिनिकल एवं नॉन क्लिनिकल विंग) का नियत पारिश्रमिक (Fixed Remuneration) दिनांक 01.09.2021 से निम्नानुसार संशोधित किये जाने की स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है:-

S. NO.	Designation	Existing Remuneration			Revised Remuneration				
		Fixed Remuneration	Exigency Allowance	Total	Fixed Remuneration	Fixed Remuneration	Exigency Allowance	Total	Fixed Remuneration
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
For Clinical Wing									
1	Assistant Professor	47200	15800	63000	63000	47200	15800 + 9000 = 24800	72000	72000
For Non-Clinical Wing									
1	Assistant Professor	47200	19840	67040	67000	47200	19840 + 10000 = 29840	77040	77000

यह स्वीकृति वित्त (व्यय-1) विभाग की आई.डी. संख्या 152100678 दिनांक 21.09.2021 से प्राप्त सहमति के अनुसरण में जारी की जाती है।

भवदीय

(सुनील शर्मा) 23/9/2021

शासन संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
2. प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा-1), राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
4. शासन संयुक्त सचिव, वित्त (व्यय-1/बजट/आयोजना) विभाग।
5. आयुक्त, निदेशालय चिकित्सा शिक्षा विभाग।
6. वित्तीय सलाहकार, निदेशालय चिकित्सा शिक्षा विभाग।
7. वित्तीय सलाहकार, चिकित्सा महाविद्यालय, अजमेर/बीकानेर/जयपुर/जोधपुर/कोटा/उदयपुर।
8. नोडल ऑफिसर, वेबसाइट निदेशालय चिकित्सा शिक्षा विभाग।
9. जन संपर्क अधिकारी, निदेशालय चिकित्सा शिक्षा विभाग।
10. रक्षित पत्रावली।

23/9/2021

(अशोक कुमार सोनी)
शासन उप सचिव